भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1577
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को अनुमति देने में विलंब

†1577. **श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई शाखाएं खोलने के लिए कई बहु-राज्यीय सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन कई वर्षों से लंबित हैं, तथा पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान शाखा खोलने की अनुमति के लिए प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या कितनी है और इनमें से स्वीकृत, अस्वीकृत तथा वर्तमान में लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) शाखाएं खोलने की अनुमति देने में इस प्रकार के अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए कोई वैधानिक समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) क्या सरकार का विचार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को शाखाएं खोलने की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन एकल-खिड़की, पारदर्शी तथा समयबद्ध अनुमोदन तंत्र शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तीव्र गति से अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं ताकि सहकारी संस्थाएं अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकें, वित्तीय समावेशन में सुधार कर सकें और देश भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत कर सकें?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(**श्री अमित शाह**)

(क) से (ग): बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा शाखा खोलने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों का वर्ष-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	शाखा खोलने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	2022	03	02	01
2	2023	16	05	07
3	2024	13	04	02
4	2025	29	08	02
5	2026	15	05	04
	कुल	76	24	16

जाँच के उपरांत, 36 बहु-राज्य सहकारी समितियों के आवेदनों में पायी गयी कमियों को संबंधित समितियों को प्रेषित कर दिया गया है । इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन शाखा खोलने की अनुमति संबंधी आवेदनों के निपटान के लिए कोई सांविधिक समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(घ) एवं (ङ): बहुराज्य सहकारी समितियों को शाखा खोलने की अनुमति पारदर्शी ढंग से प्रदान करने हेतु ऑनलाइन 'सीआरसीएस कार्यालय का पोर्टल' पूर्व में ही लॉन्च किया जा चुका है ।
